



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक 14.04.2024

एसओजी/सर्विलांस सेल एवं थाना कैलिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा धोखाधड़ी व चोरी की घटना का सफल अनावरण कर 03 अभियुक्तगण को चोरी/धोखाधड़ी के 92,000/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त कार के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

दिनांक 10.04.2024 को वादी द्वारा थाना कैलिया में अपने साथ हुयी धोखाधड़ी की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 19/24 धारा 420/419/506 भादवि बनाम राजू महाराज पुत्र अज्ञात नि0 अज्ञात व 01 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसओजी/सर्विलांस एवं थाना कैलिया पुलिस की संयुक्त टीम को लगाया गया था। जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 14.04.2024 को एसओजी/सर्विलांस एवं थाना कैलिया पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चेंकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी क्षेत्र गस्त के दौरान मुखविर की सूचना पर 03 अभियुक्तगण 1. हजरत पुत्र अनवर खाँ नि0 मु0 मेहोना रोड जुमां मस्जिद के पास कस्बा/थाना कुठौंद जनपद जालौन 2. आसिक खान पुत्र नासिर खाँ नि0 रामचबूतरा मो0 राजीपुरा कस्बा/थाना कालपी जनपद जालौन 3. सादमान पुत्र सुल्तान खाँ नि0 ग्राम जलालपुर सिकन्दरा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात को चोरी व धोखाधड़ी के 92,000/- रूपये व घटना में प्रयुक्त कार के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछतांछ का विवरण- अभियुक्तगणों द्वारा पूछतांछ में बताया गया है कि हम लोगों ने समीर खान उर्फ टार्जन के साथ मिलकर ग्राम चटसारी निवासी कमल से 5,00,000/- रूपये की धोखाधड़ी की थी। धोखाधड़ी से प्राप्त रूपये हम लोगो ने आपस में बांट लिये थे। अभियुक्त हजरत ने बताया कि मैने व समीर खान उर्फ टार्जन ने थाना नदीगांव के ग्राम सलैया खुर्द में एक घर से आभूषण चोरी किये थे। आभूषणों को हम लोगों ने 1,20,000/- रूपये में बेच दिये थे। हम लोगो से बरामद रूपये (92,000/-) धोखाधड़ी एवं चोरी के माल को बेचने से प्राप्त हुये थे। बाकी के रूपये हम लोगो ने अपनी जरूरतों व शौक पूरे करने में खर्च कर दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. हजरत पुत्र अनवर खाँ नि0 मु0 मेहोना रोड जुमां मस्जिद के पास कस्बा/थाना कुठौंद जनपद जालौन
2. आसिक खान पुत्र नासिर खाँ नि0 रामचबूतरा मो0 राजीपुरा कस्बा/थाना कालपी जनपद जालौन
3. सादमान पुत्र सुल्तान खाँ नि0 ग्राम जलालपुर सिकन्दरा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण –

- 1- 92,000/- रूपये मु0अ0सं0 19/24 धारा 419/420/506/386 भादवि थाना कैलिया व मु0अ0सं0 33/24 धारा 457/380 भादवि थाना नदीगांव से सम्बन्धित
- 2- 01 अदद कार घटना में प्रयुक्त

अपराधिक इतिहास अभियुक्त हजरत उपरोक्त-

- 1 - मु0अ0सं0 654/08 धारा 380/402 भादवि थाना एट जनपद जालौन।
- 2 - मु0अ0सं0 55/09 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कुठौन्द जनपद जालौन।
- 3 - मु0अ0सं0 637/10 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कुठौन्द जनपद जालौन।
- 4 - मु0अ0सं0 741/10 धारा 380/457/411 भादवि थाना गोहन जनपद जालौन।
- 5 - मु0अ0सं0 756/08 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना एट जनपद जालौन।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

- 1- प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय टीम।
- 1- थाना प्रभारी कैलिया मय टीम।